(7)

कार्यालय विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल
दूरभाष –कार्यालय 0755–2674234,फैक्स–0755–2672345,ई–मेल pccfcampa@mpforest.org

क्रमांक / एफ–10 / बजट / 327 / 433 भोपाल, दिनांक 19-07-16

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव
   वन / वित्त / योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी / लोक निर्माण / जल संसाधन / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय भवन, रविशंकर नगर, भोपाल (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि)
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), म.प्र.
7. अशासकीय संगठन, डब्ल्यु.डब्ल्यु.एफ. मध्यप्रदेश रायबा बिल्डिंग,
   पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.
8. अशासकीय संगठन, अरण्या भोपाल
   श्रीमती अर्चना शर्मा (अरण्या) (9303125057)
   ई–7 / 803, अरेरा कॉलोनी, पानी की टंकी के पास, भोपाल म.प्र.

विषयः–प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, म.प्र. की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2016 का कार्यवाही विवरण।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA), म.प्र. की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वी. बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे मंत्रालय स्थित मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष में आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक का अनुमोदित कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)

(भानु प्रकाश गुप्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–10 / बजट / 289 / 434 भोपाल, दिनांक 19-07-16

प्रतिलिपिः– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर दिनांक 24.06.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 19/7/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
मध्य प्रदेश, भोपाल

-23-

F-219-a

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित मध्य प्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 का कार्यवाही विवरण

---0---

दिनांक 24 जून 2016 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–I पर है। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

एजेण्डा कमांक–1

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 6वी बैठक दिनांक 07 नवम्बर 2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 6वी बैठक दिनांक 07 नवम्बर 2015 के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा कमांक–2

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 6वी बैठक दिनांक 07 नवम्बर 2015 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वी बैठक में लिये गये निर्णयों पर बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन के विवरण से समिति अवगत हुई।

3. तदोपरान्त बैठक में रखे गये एजेण्डा पर चर्चा उपरांत निम्न निर्णय लिये गये:

एजेण्डा कमांक–3

प्रस्तावित एजेण्डा:– एड–हॉक कैम्पा, नई दिल्ली में मध्यप्रदेश राज्य की जमा राशि ₹ 2759.30 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपलब्ध होने वाली संभावित राशि (उपरोक्त राशि का 10 प्रतिशत), वर्ष 2014–15 की शेष राशि एवं ब्याज की संभावित राशि के आधार पर तैयार कर वर्ष 2015–16 का ए.पी.ओ. अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :–वर्ष 2015–16 के ए.पी.ओ. में प्रस्तावित कार्यो के विवरण से समिति अवगत हुई।

एजेण्डा कमांक–4

प्रस्तावित एजेण्डा :– वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओ के 56 प्रकरणों (कुल लागत रू.115.04 करोड़) की, प्रथम वर्ष के कार्यो के कियान्वयन हेतु , प्रस्तावित राशि ₹ 41.47 करोड के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णय :– समिति द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु वनीकरण कार्यो की कुल लागत ₹ 115.04 करोड़ के प्रथम वर्ष 2015–16 की लागत राशि ₹ 41.47 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं मे सिचांई हेतु नलकूप खनन (Tube well) का प्रस्ताव दिया गया है, उन्हें पुनः परीक्षण कर नलकूप खनन के स्थान पर सिचांई हेतु अन्य पारंपरिक व्यवस्थाओं पर, कुआ (Well) एवं तालाब (Ponds) पर आवश्यकता अनुसार विचार किया जावे।

यह भी निर्देश दिये गये कि वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना बनाते समय आस्था मूलक
। हेतु 12 प्रतिशत, मानव संसाधन विकास हेतु 3 प्रतिशत, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु
, प्रतिशत तथा पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत राशि लिये जाने पर पुनः परीक्षण किया जावे।

एजेण्डा कमांक–5

प्रस्तावित एजेण्डा :– वन्य प्राणी संरक्षण एवं संवर्धन कार्यो के ₹ 16.95 करोड़ के 60 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इनमें मुख्य रूप से वन्यप्राणियों के लिये रहवास एवं सुधार, वन्यप्राणियों हेतु जल स्त्रोंतों का विकास, चारागाह विकास, वनमार्गो का उन्नयन, जैविक दवाब कम करने हेतु वैकल्पिक उर्जा के साधनों का प्रदाय, अधीनस्थ वन अमले का प्रशिक्षण एवं लाइन क्वार्टर निर्माण सम्मिलित किये गये।

निर्णय :– समिति द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण एवं संवर्धन कार्यो की लागत राशि ₹ 16.95 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा कमांक–6

एन.पी.व्ही. मद के प्रस्तावित कार्य

6.1 वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के प्रकरणों में वर्ष 1980 से 2002 तक शेष रहे वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रस्ताव।

प्रस्तावित एजेण्डा :– गैर वन भूमि की शेष 15 परियोजनाओं में प्रभावित वन क्षेत्र 192.371 हेक्टेयर के दुगने छोटे–बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में 378.622 हेक्टेयर में कुल आवश्यक राशि ₹ 5.67 करोड़ एवं प्रथम वर्ष के कार्यो हेतु राशि ₹ 2.49 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

निर्णय :– वैकल्पिक वृक्षारोपण की 15 परियोजनाओं की प्रस्तावित कुल लागत राशि ₹ 5.67 करोड़ के प्रथम वर्ष की राशि ₹ 2.49 करोड़ के प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

6.2 वन्यप्राणी प्रबन्धन एवं सुरक्षा हेतु प्रस्ताव

(i) अपलेखित वाहनो के बदले अन्य वाहनः–

प्रस्तावित एजेण्डा :– 15 अपलेखित वाहनों के बदले वन्य प्राणी सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिये कान्हा/सतपुड़ा/माधव एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में 05 स्कॉर्पियो फोर व्हील, 05 बोलेरो फोर व्हील एवं 05 बोलेरो कैम्पर, इस प्रकार कुल 15 वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इन वाहनों के क्रय पर ₹ 1.12 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

निर्णय :– अपलेखित वाहनो के बदले 05 स्कॉर्पियो (4 व्हील), 05 बोलेरो (4 व्हील) एवं 05 बोलेरो कैम्पर वाहन कय किये जाने हेतु राशि ₹ 1.12 करोड़ के प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

यप्राणी रहवास सुधारः–

ावित एजेण्डा :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर स्थल ोष के आधार पर राशि ₹ 13.57 करोड के प्रेषित प्रस्ताव प्रस्तुत है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों से गत वर्षो में ग्रामों का पुनर्स्थापन से रिक्त हुये स्थलों पर वन्यप्राणियों के लिए रहवास का विकास एवं सुधार जिसमें मूलतः घास के क्षेत्रों का विकास तथा पेयजल की व्यवस्था शामिल है, किया जाना है।

निर्णय :– वन्यप्राणी रहवास का विकास एवं सुधार से संबधित राशि ₹ 13.57 करोड़ के प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक –7

प्रस्तावित एजेण्डा :–क्षेत्रीय कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु 16 स्कॉर्पियो वाहन (4 व्हील ड्राइव) के क्रय पर लगने वाले प्रवेश कर की राशि ₹ 20.00 लाख के भुगतान का अनुमोदन

निर्णय :– राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा प्रवेश कर की राशि ₹ 20.00 लाख के भुगतान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

2015–16 हेतु एन.पी.व्ही. मद में अन्य नवीन कार्यो के प्रस्ताव

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक –8

8.1 वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु वन अधिकारियों को आत्मरक्षार्थ रिवाल्वर का प्रदायः–

प्रस्तावित एजेण्डा :– वन विभाग में 450 वन परिक्षेत्र हैं, इनमें से प्रथम चरण में 136 परिक्षेत्र अधिकारियों को रिवाल्वर प्रदाय की जा चुकी है। 150 परिक्षेत्र अधिकारियों को रिवाल्वर प्रदाय की जाना प्रस्तावित है। 150 नग 32 बोर बैरल की वर्तमान मूल्य ₹ 0.75 लाख की दर से एवं एसेसरीज हेतु ₹ 1.18 करोड़ की आवश्यकता दर्शाई गई है।

निर्णय :– राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुसार 150 नग 32 बोर बैरल रिवाल्वर एवं एसेसरीज हेतु राशि ₹ 1.18 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

8.2 वृत्त स्तर पर चलित फॉरेंसिक लैब का प्रदायः–

प्रस्तावित एजेण्डा :– वन अपराधों का मौके पर ही साईटिफिक जॉच हेतु फोरेसिंक लैब की आवश्यकता पड़ती है। विगत वर्ष 2 चलित फॉरेसिंक लैब प्रदाय किये गये है। इसके अतिरिक्त अन्य वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वृत्तों को 08 फॉरेसिंक लैब की आवश्यकता है। एक चलित फॉरेसिंक लैब की लागत ₹ 20 लाख है। इस प्रकार 08 फॉरेसिंक लैब हेतु राशि ₹ 1.60 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया।

निर्णय :– वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वृत्तों को प्रस्ताव अनुसार 08 चलित फॉरेसिंक लैब के लिये राशि ₹ 1.60 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

वन चौकियों हेतु 25 बहुउद्देशीय वाहन का क्रय

वेत एजेण्डा :– वर्तमान में विभाग में कुल 334 वन चौकियों में से 245 चौकियों में ही उद्देशीय वाहन उपलब्ध हैं। शेष चौकियों में से 25 चौकियों के लिये 25 डबल केबिन टा जिनॉन बहुउद्देशीय वाहन जिसमें कर्मचारियों के बैठने के साथ जप्ती की वनोपज एवं अन्य सामग्री परिवहन की जा सके, क्रय की जाना है। 25 डबल केबिन टाटा जिनॉन बहुउद्देशीय वाहन क्रय हेतु प्रति वाहन ₹ 7.75 लाख से कुल राशि ₹ 1.94 करोड़ प्रस्तावित की गई।

निर्णय :– समिति द्वारा विस्तार से चर्चा की गई एवं यह पाया गया कि 334 वन चौकियों के विरूद्व कुल 89 बहुउद्देशीय वाहनों की आवश्यकता है, जिसके लिये कैम्पा मद में राशि भी उपलब्ध है। अतः वन सुरक्षा की दृष्टि से शेष रही सभी 89 चौकियों हेतु 89 डबल केबिन टाटा जिनॉन बहुउद्देशीय वाहन के क्रय करने हेतु समिति द्वारा ₹ 6.90 करोड़ के प्रस्तावित व्यय की स्वीकृति दी गई।

8.4 वन परिक्षेत्र अधिकारियों (क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी) को किराये के गश्ती वाहनः–

प्रस्तावित एजेण्डा :– वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में विभाग की मांग अनुरूप राशि उपलब्ध नहीं हुई । वन विभाग के संसाधनों की कमी को देखते हुए 03 माह की अवधि हेतु 450 परिक्षेत्र अधिकारियों (क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी) को किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु किराया 25000/– प्रति वाहन, प्रति माह की दर से राशि ₹ 3.375 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

निर्णय :– 450 परिक्षेत्र अधिकारियों को गश्ती हेतु किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु 03 माह की अवधि हेतु राशि ₹ 3.375 करोड के व्यय का अनुमोदन किया गया।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष 09 माह की अवधि हेतु भी 450 परिक्षेत्र अधिकारियों को गश्ती हेतु किराये के वाहन उपलब्ध कराये जावें, जिस पर व्यय की जाने वाली राशि ₹ 10.12 करोड़ के संभावित व्यय का भी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक –9

प्रस्तावित एजेण्डा :– वैकल्पिक वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. एवं वन्यप्राणी संरक्षण के कार्यों की सतत निगरानी एवं निरीक्षण हेतु राज्य कैम्पा में वाहन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वर्तमान में राज्य कैम्पा में क्षेत्रीय भ्रमण हेतु कोई वाहन उपलब्ध नही होने के कारण, एक स्कॉर्पियो वाहन की आवश्यकता है। 01 स्कॉर्पियो वाहन क्रय हेतु राशि ₹ 15.00 लाख का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :– राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा कैम्पा हेतु क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण के लिए एक स्कॉर्पियो वाहन क्रय हेतु राशि ₹ 15.00 लाख के प्रस्तावित व्यय का अनुमोदन किया गया।

क्रमांक–10

त एजेण्डा :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के अनुसार 07 वन वृत्तों में 692 र के कुल 08, पांच वर्षीय नगर वन उद्यान योजना के प्रस्ताव है। इन पर कुल ₹ 13.77 रोड का व्यय आवेगा। प्रथम वर्ष में राशि ₹ 12.31 करोड की आवश्यकता होगी। इस रियोजना के लिये 80 प्रतिशत राशि केन्द्रांश की एवं 20 प्रतिशत राशि राज्यांश की रहेगी। भारत सरकार के निर्देश अनुसार इस योजना के प्रस्ताव राज्य कैम्पा के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हैं तथा यह परियोजना राज्य कैम्पा के वार्षिक योजना का भाग नहीं है।

निर्णय :– नगर वन उद्यान योजना के संबंध में समिति द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को निर्देश दिये गये कि योजना का पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव पूर्ण विवरण मय मानचित्र के साथ के आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा क्रमांक –11

प्रस्तावित एजेण्डा :– भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय कैम्पा के गठन हेतु जारी दिशा निर्देश के बिन्दु 11(II) के अनुसार आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय जिसमें वेतन एवं अन्य भत्ते भी शामिल हैं का प्रबंधन कैम्पा मद में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि से किया जावेगा। कैम्पा अंतर्गत कार्यो हेतु 01 टेली आपरेटर, 02 कम्प्यूटर आपरेटर, 03 कुशल श्रमिक एवं 02 डाकरनर की आवश्यकता है, जिस पर होने वाले व्यय का भुगतान स्टेट कैम्पा के अन्तर्गत अर्जित ब्याज की राशि से किया जावेगा, का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– टेली आपरेटर, कम्प्यूटर आपरेटर, कुशल श्रमिको के प्रस्ताव पर समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कैम्पा के कार्यालय हेतु अलग से पदों का सेटअप तैयार किया जावे।

एजेण्डा क्रमांक–12

प्रस्तावित एजेण्डा :– स्टेट कैम्पा को स्थाई खाता संख्या (PAN) AAAGS0479Q आवंटित किया गया है, आवंटित पेन संख्या समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– समिति द्वारा स्टेट कैम्पा का पेन नम्बर आवंटन के संबंध में आयकर अधिकारी से चर्चा करने हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यह पता किया जावे कि क्या एड–हॉक कैम्पा नई दिल्ली द्वारा भी पेन नम्बर प्राप्त किया गया है। बैंक को इस तथ्य से अवगत कराया जावे कि कैम्पा एक फण्ड मेनेजमेंट बाडी है जिसमें जमा की गई राशि पर टी.डी.एस. काटा जाना नियमानुसार उचित नहीं है।

– 554

,जेण्डा क्रमांक–13

प्रस्तावित एजेण्डा :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित स्कूल नर्सरी योजना में चयनित स्कूल में 100 वर्ग मी. की नर्सरी में 1000 पौधे तैयार किया जाना है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) से प्राप्त प्रदेश के 34 जिलों में 300 प्रस्तावों के अनुसार 03 वर्षो में कुल 135.00 लाख का व्यय आवेगा जिसमें प्रथम वर्ष में राशि ₹75.00 लाख की आवश्यकता होगी। इस योजना हेतु राशि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल द्वारा सेंट्रल कैम्पा से प्रदाय की जावेगी। उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– स्कूल नर्सरी योजना के संबंध में निर्देश दिये गये कि योजना के संबंध में प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित कि स्कूल नर्सरी में बच्चे क्या कार्य करेंगे, बाहर के मजदूर से क्या कार्य कराया जावेगा, कौन–कौन से पौधे तैयार किये जावेंगे, प्रस्तुत किये जावें। प्रस्ताव बनाते समय 02 कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी बुलाकर उनके सुझाव भी लिये जावें। तकनीकी जानकारी विभाग देगा।

एजेण्डा क्रमांक–14

प्रस्तावित एजेण्डा :– दतिया वन मण्डल के अंतर्गत वन भूमि पर नगर वन स्थापना (पत्तारा कक्ष कमांक पी–55 में) रकबा 100 हेक्टेयर कुल लागत राशि ₹2.00 करोड़, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का राशि ₹1.50 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस परियोजना पर होने वाले व्यय में से 80 प्रतिशत राशि कैम्पा मद से एवं 20 प्रतिशत राशि सांसद/विधायक निधि से व्यय की जाना प्रस्तावित की गई है।

निर्णय :– नगर वन स्थापना, योजना के संबंध में समिति द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को निर्देश दिये गये कि योजना का पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव पूर्ण विवरण मय मानचित्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

संजय मोहरीर
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

- 155 (154)

परिशिष्ट–I

ननीय मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2016 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री ए.पी. श्रीवास्तव	अपर मुख्य सचिव, वित्त मध्य प्रदेश
2	श्री दीपक खांडेकर	अपर मुख्य सचिव, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
3	श्री प्रमोद अग्रवाल	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश
4	श्रीमती नीलम शमी राव	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.
5	ड़ॉ. अनिमेश शुक्ला	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश
6	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मध्य प्रदेश
7	श्री प्रवीण कुमार चौधरी	विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), मध्य प्रदेश
8	श्री वाय सत्यम	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), मध्य प्रदेश
9	श्री बी.पी. गुप्ता	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), मध्य प्रदेश
10	श्री राजीव शुतलीकर	आयुक्त कमांड एरिया डिवलवमेंट एजेन्सी, मध्य प्रदेश
11	श्री जी. फणीन्द्र राव	वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र) भोपाल
12	श्रीमती संगीता सक्सेना	प्रतिनिधि, अशासकीय संगठन, डब्ल्यु.एब्ल्यु.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक / एफ–03–39 / 2014 / 10–2 दिनांक 17/08 / 2016

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कैम्पा
सतपुडा भवन भोपाल।

विषयः– राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक का कार्यवाही विवरण बावत।

संदर्भः– आपकी टीप क्रमांक 103 दिनांक 18.07.2016 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.072016

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि आपकी संदर्भित टीप के साथ प्रेषित दिनांक 24.06.2016 को आयोजित कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा क्रमांक 3 का मुख्य सचिव महोदय से अनुमोदन पश्चात अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। साथ ही यह अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारियों को भी अपने स्तर से उपरोक्त कार्यवाही विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

16/8/16
(संजय मोहरीर)
अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

कृपया
विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल
17/8

E:\Manish\letter.docx456

पंजी क्र 1982 16/10-2
दिनांक 20-07-2016

661 R
03/B

विषय:– मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अयोजित मध्यप्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक का कार्यवाही विवरण।

संदर्भ:- म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-03-33/2014/10-2 दिनांक 14.07.2016

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक दिनांक 24.06.2016 में, एजेण्डा कमांक 04 से 14 तक राशि रू. 95.75 करोड़ में नये कार्यों के प्रस्ताव एवं एजेण्डा कमांक 03 में विगत वर्षो के स्वीकृत वनीकंरण कार्यो के रख–रखाव हेतु राशि रू. 33.17 करोड़ के प्रस्ताव, इस प्रकार कुल राशि रू. 118.92 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे।

इस कार्यालय से मध्यप्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक दिनांक 24.06.2016 का कार्यवाही विवरण भेजते समय एजेण्ड़ा कमांक 03 में विगत वर्षो के स्वीकृत कार्य के रख–रखाव हेतु राशि रू. 33.17 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन, लिपिकीय त्रुटिवश, लेख किया जाना, छूट गया है।

अतः मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित मध्यप्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक दिनांक 24.06.2016 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा क्रमांक 03 के निर्णय में संशोधन कर निर्णय "वर्ष 2015–16 के ए.पी.ओ. में प्रस्तावित कार्यों के विवरण से समिति अवगत हुई। तालिका 01 के बिन्दु कमांक 2 में विगत वर्षो के स्वीकृत अवशेष कार्य (वनीकरण कार्यो के रख–रखाव) हेतु राशि रू. 33.17 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।" अनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

तदानुसार अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लव भवन भोपाल, को राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक दिनांक 24.06.2016 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा कमांक 03 के निणर्य का, उपरोक्तानुसार संशोधन निकालने हेतु लेख किया जाना प्रस्तावित है।

18/7/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

क्र 1OC/अनुस/वन/20
दिनांक 18/7/16

विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

उपरोक्तानुसार रेखांकित प्रस्ताव, दि. 24.6.2016 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप है। अतः आवश्यक संशोधन स्वीकृत किए जाने हेतु शासन, वन विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

18.7.16 18.7.16

PCCF & HoFF

अपर मुख्य सचिव (वन)

UO.NO-103
18-7-2016

18/7/16

18/7/16 302

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित, मध्य प्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 का कार्यवाही विवरण

संशोधन एजेण्ड़ा कमांक 03 (निर्णय)

एजेण्डा कमांक–3

प्रस्तावित एजेण्डा :– एड–हॉक कैम्पा, नई दिल्ली में मध्यप्रदेश राज्य की जमा राशि रू. 2759.30 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपलब्ध होने वाली संभावित राशि (उपरोक्त राशि का 10 प्रतिशत), वर्ष 2014–15 की शेष राशि एवं ब्याज की संभावित राशि के आधार पर वर्ष 2015–16 का ए.पी.ओ. तैयार किया गया है।

निर्णय :– वर्ष 2015–16 के ए.पी.ओ. में प्रस्तावित कार्यो के विवरण से समिति अवगत हुयी। तालिका 01 के बिन्दु कमांक 2 में विगत वर्षो के स्वीकृत अवशेष कार्य (वनीकरण कार्यो के रख–रखाव) हेतु राशि रू. 33.17 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

संजय मोहरीर
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग